

संख्या- 16 /2025/4984/002-9-7099-288-2025

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी

विशेष सचिव।

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 31 दिसंबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि उपर्युक्त के विषयगत शासनादेश संख्या-05/2017/4651/नौ-8- 2017-21ज/2016, दिनांक 20.09.2017 द्वारा "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत नगर निकायों में कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थल की स्थापना किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। तदक्रम में शासनादेश संख्या-2908/नौ-8-2018-08केपीए (बजट)/2018, दिनांक 24.09.2018 द्वारा नगर निकायों में निर्मित की जाने वाली कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से निकाय में न्यूनतम 500 पशुओं को रखे जाने हेतु अधिकतम ₹165.89 लाख की कार्ययोजना का मॉडल प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप के अनुसार गौशालाओं में निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं होना आवश्यक है:-

(1) चारा गोदाम (2) 500 गौवंशों के लिए शेड (3) वेटनरी क्लीनिक विद कैटल क्रश। (4) भूसा कटल शेड (5) सर्वेन्ट क्वार्टर (6) छोटे साइज के गेट (7) मेन गेट (8) चरही (9) नाली निर्माण कार्य (10) सबमर्शिबल पम्प (11) बायो गैस प्लान्ट (12) बाउन्ड्रीवाल।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत निर्धारित माडल कार्ययोजना के अनुसार कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण किये जाने हेतु निम्नलिखित कुल 10 नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर

होम्स का निर्माण के लिये कुल ₹1643.59 लाख (रसोलह करोड़ तैतालीस लाख उनसठ हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष कुल धनराशि 821.75 लाख (रआठ करोड़ इक्कीस लाख पचहत्तर हज़ार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	कार्य	प्राप्त आगणन में लागत	यथा प्रस्तावित/ मानकीकरण के पश्चात अनुमन्य धनराशि लागत	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हरदोई	नगर पालिका परिषद हरदोई	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	165.47	165.47	82.73
2	लखीमपुर खीरी	नगर पालिका परिषद पलिया कलाँ	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	164.37	164.37	82.18
3	बदायूँ	नगर पंचायत अलापुर	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	167.08	165.89	82.94
4	अयोध्या	नगर पंचायत कुमारगंज	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	167.13	165.89	82.94
5	अयोध्या	नगर पंचायत गोशाईगंज	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	165.89	165.89	82.94
6	अयोध्या	नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	153.41	153.41	76.70
7	आजमगढ़	नगर पंचायत जहानागंज बाजार	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	165.89	165.89	82.94

8	गाजीपुर	नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	165.89	165.89	82.94
9	कुशीनगर	नगर पंचायत मथौली	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	171.20	165.89	82.94
10	कुशीनगर	नगर पंचायत छितौनी	कान्हा गौशाला निर्माण कार्य।	165.00	165.00	82.50
कुल योग				1651.33	1643.59	821.75

(₹ आठ करोड़ इक्कीस लाख पचहत्तर हज़ार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना से संबंधित शासनादेशों / दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय। स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत/प्रस्ताव के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2908/नौ-8-2018-08केपीए (बजट)/2018, दिनांक 24.09.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों एवं संलग्न मानचित्र के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) संबंधित नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(9) उपरोक्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत उसकी गुणवत्ता की जाँच संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से कराकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत प्रश्रगत निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में संबंधित निकाय को अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रश्रगत कार्य संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति से मानक मॉडल के अनुसार कराया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो। यदि निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि की आवश्यकता हो तो उक्त धनराशि निकाय स्वयं के स्रोतों से वहन करेगी।

(11) नगर पंचायत/नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(12) नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी इस शासनादेश के निर्गत की तिथि से 02 कार्य दिवसों के भीतर उपरोक्त आवंटन से सम्बन्धित बैंक खाते का विवरण बैंक पास बुक छायाप्रति के साथ निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैंक खाते की अनुपलब्धता के कारण यदि धनराशि आवंटन सम्बन्धित निकाय को नहीं होती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी समझे जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,21,75,000 (रुपये आठ करोड़ इक्कीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक

2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या- E-9-155-X-2025-26-दिनांक: 30-12-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
KALYAN BANERJEE
Date: 31-12-2025
13:45:14
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव।

संख्या- 16 /2025/4984(i)/002-9-7099-288-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
कल्याण बनर्जी
विशेष सचिव।